



कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर

व्यापम भवन, सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) - 492002

Phone No. - 0771-2972781

Website - <http://www.vyapam.cgstate.gov.in>, Email - vyapamcontrollerpa@gmail.com

क्रमांक/.....1717...../नियं.नि.क./व्यापम/2023/

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक ...21.09.23


// प्रेस विज्ञप्ति //

सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/पलाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिये चयनित अभ्यर्थियों के संबन्ध में बेहद भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं एवं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सत्यता यह है कि अभ्यर्थी विजेता केशरवानी को पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण (दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप दंड) में पुलिस विभाग द्वारा अपात्र घोषित किया गया था। विभाग के इस निर्णय से क्षुब्ध होकर अभ्यर्थी ने मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने रिट पिटिशन क्रमांक 7304/2022 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक 29.01.2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल करने के सशर्त निर्देश दिये गये थे और कहा गया था कि परीक्षार्थी का परिणाम न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक घोषित ना किया जाए।

न्यायालय के इस आदेश के परिपालन में विजेता केशरवानी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई एवं दिनांक 22.02.2023 को प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तकों की प्रकाशित सूची में विजेता केशरवानी का नाम "अंत में पृथक से" मान. उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए दर्शाया गया। मुख्य परीक्षा हेतु जारी होने वाली सूची से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा उनका परिणाम घोषित करने के संबंध में की गई प्रार्थना के परिपेक्ष्य मान. उच्च न्यायालय ने पुनः रिट पिटिशन क्रमांक 7304/2022 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा संबंधित के परीक्षा परिणाम को घोषित करने का आदेश दिया गया।

मान. न्यायालय के इस आदेश के तहत अभ्यर्थी के प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तकों को संज्ञान में लिया गया जिसमें उनके कुल 196.875 अंक थे जिससे उनकी ओवर ऑल रैंक 1689 आयी और उन्हें अनारक्षित महिला के स्थान के विरुद्ध मुख्य परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पूर्णता भ्रामक एवं शरारत पूर्ण है जिसका व्यापम पूरजोर खंडन करता है। कृपया उक्त भ्रामक समाचार का खंडन परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशन करने का कष्ट करें।


(डॉ. सुधीर उपरीत)

नियंत्रक

छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर, नवा रायपुर

